बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग
उर्दू निदेशालय
कार्यालय आदेश

का०आ०सं०–उ०नि०–02–21/2025...128.../ पटना, दिनांक–...18.05.26

बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना के विज्ञापन संख्या–01/19 के आधार पर पत्रांक–4160/आ०, दि०–03.12.2024 द्वारा अनुशंसित निम्नलिखित अभ्यर्थियों को उर्दू निदेशालय, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना के अधीन सहायक उर्दू अनुवादक के पद पर वेतन स्तर–05 (29200–92300/–) में नियुक्त एवं स्तंभ–8 में अंकित कार्यालय में पदस्थापित किया जाता है :–

क्र० सं०	रौल नं०	अनुशंसित अभ्यर्थियों का नाम एवं स्थायी पता	गृह ज़िला	जन्म तिथि	मेधा क्रमांक	अनुशंसित कोटि	पदस्थापन कार्यालय
1	2	3	4	5	6	7	8
1	10000225	मो० शाहिद प्रवेज़ पिता–अहमद अली ग्राम–रामपुर यद्दु, वार्ड सं०–11, पो०–पड़राही, थाना–शिवहर, जिला–शिवहर, पिन–843329	शिवहर	11.10.1987	101	UR (MBC)	अंचल कार्यालय, कटरा, मुज़फ़्फ़रपुर
2	10002753	मो० शाहिद अली पिता–मो० शौकत अली ग्राम–नरसन, पो०–इटवाँ, थाना–हसपुरा, जिला–औरंगाबाद, पिन–824120	औरंगाबाद	02.02.1996	633	MBC	समाहरणालय, अरवल (ज़िला उर्दू भाषा कोषांग)

2. उक्त दोनों अभ्यर्थियों के विरूद्ध भा०द०वि० के तहत विभिन्न धाराओं का दर्ज होना पाया गया है। यह नियुक्ति इस शर्त के साथ दी जा रही है कि अभ्यर्थियों के विरूद्ध लंबित आपराधिक मामलों में माननीय न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के फलाफल से उक्त दोनों अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रभावित होगी।

3. यह नियुक्ति अभ्यर्थियों द्वारा समर्पित शपथ–पत्र के आधार पर शैक्षणिक एवं अन्य संगत प्रमाण–पत्रों को सही मानकर इस शर्त पर की जा रही है कि भविष्य में शैक्षणिक प्रमाण–पत्र/अभिलेखों के संबंध में गलत सूचना पायी जाने की स्थिति में इनकी सेवा कभी भी बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी एवं नियमानुसार आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

4. उक्त अभ्यर्थियों की नियुक्ति अस्थायी होगी।

5. उक्त अभ्यर्थियों की सेवा शर्तें एवं पदीय दायित्व "बिहार राज्य उर्दू अनुवादक संवर्ग नियमावली, 2016" से अच्छादित होंगे।

6. उक्त अभ्यर्थियों को वेतन के अतिरिक्त सरकार द्वारा समय–समय पर स्वीकृत अनुमान्य भत्ता देय होगा।

7. उक्त अभ्यर्थियों की नियुक्ति में राज्य में प्रवृत्त नई अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

8. उक्त अभ्यर्थी नियुक्ति आदेश निर्गत होने की तिथि से एक माह के अन्दर अपने पदस्थापन कार्यालय में अनिवार्य रूप से योगदान देना सुनिश्चित करेंगे।

9. उक्त अभ्यर्थियों को अपने पदस्थापन कार्यालय में योगदान हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

10. पदस्थापन कार्यालय में योगदान के समय असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

11. यदि पूर्व से नियोजित हो तो विरमन आदेश/त्याग–पत्र स्वीकृति आदेश समर्पित करना आवश्यक होगा।

12. इसमें अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/–
(एस०एम० परवेज़ आलम)
अपर सचिव–सह–निदेशक।

ज्ञाप संख्या :–उ०नि०–02–21/2025....1025..../ पटना, दिनांक–...18.05.26...

प्रतिलिपि :– उक्त नवनियुक्त सहायक उर्दू अनुवादकों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ। निदेश दिया जाता है कि आदेश निर्गत की तिथि से एक माह के अन्दर अपना योगदान संबंधित पदस्थापन कार्यालय में समर्पित करेंगे। साथ ही यह निदेश दिया जाता है कि अपने विरूद्ध लंबित आपराधिक मामलों की सुनवाई में समय–समय पर अद्यतन स्थिति से निदेशालय को निश्चित रूप से अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि :– स्थापना/बजट शाखा, उर्दू निदेशालय, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– आई०टी० मैनेजर, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– प्रभारी पदाधिकारी, ज़िला उर्दू भाषा कोषांग, समाहरणालय, मुज़फ़्फ़रपुर/अरवल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि संबंधित नवनियुक्त सहायक उर्दू अनुवादक के विरूद्ध लंबित आपराधिक मामलों की सुनवाई में समय–समय पर अद्यतन स्थिति से निदेशालय को अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि :– अंचलाधिकारी, कटरा, मुज़फ़्फ़रपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि नवनियुक्त सहायक उर्दू अनुवादक श्री मो० शाहिद परवेज के विरूद्ध लंबित आपराधिक मामलों की सुनवाई में समय–समय पर अद्यतन स्थिति से निदेशालय को अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि :– ज़िला कोषागार पदाधिकारी, मुज़फ़्फ़रपुर/अरवल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– ज़िला पदाधिकारी, मुज़फ़्फ़रपुर/अरवल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना को उनके पत्रांक–4160/आ०, दिनांक–03.12.2024 के आलोक में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, वीरचन्द पटेल पथ, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/- 18/5/26

(एस०एम० परवेज़ आलम)
अपर सचिव–सह–निदेशक।